कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(6)2024/गोप्र/प्रमुवसं–08745 दिनांक : As Per Sign

–: कार्यालय–आदेश :–

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.11.2024 की अनुशंषा के आधार पर निम्न लोकसेवकों को वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के विरूद्ध निजी सहायक ग्रेड–I से अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे–मैट्रिक्स के पे–लेवल एल–12 (ग्रेड पे–4800) में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:–

क्र. स.	नाम लोकसेवक (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	वर्ग	रिक्ति तिथि
1.	भूपेन्द्र कुमार शर्मा	चुन्नालाल	UR	01.04.2024
2.	अनिल कुमार शर्मा	पूरण चन्द शर्मा	UR	01.04.2024
3.	महेश कुमार शर्मा	चुन्नीलाल	UR	01.04.2024
4.	सुरेश कुमार खण्डेलवाल	केदारनाथ नाटाणी	UR	01.04.2024
5.	अरविन्द कुमार शर्मा	मीठा लाल	UR	01.04.2024

उक्त पदोन्नति आदेश निम्न शर्तों/प्रावधानों के अध्यधीन रहेगें :–

1. चयनित कार्मिकों में से सेवानिवृत्त, स्वेच्छिक सेवानिवृत्त, मृतक के अतिरिक्त पदोन्नत लोकसेवक पदोन्नति पर अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही यथावत कार्यरत रहते हुए पदोन्नत पद की कार्य–ग्रहण की रिपोर्ट अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से दिनांक 13.12.2024 तक इस कार्यालय कों प्रस्तुत करेंगे। चयनित लोकसेवक को अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर पदोन्नति दिनांक से वेतन का काल्पनिक लाभ तथा नवीन पद पर कार्यग्रहण संभालने की दिनांक से वेतन का नगद लाभ देय होगा। इनका पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।
2. श्री महेश कुमार शर्मा की पदोन्नति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 13218/2024 संतोष कुमार महावर वगैराह बनाम सरकार में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
3. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क–2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक 16.03.2023 के अनुसार यदि किसी कार्मिक के 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतानें हो, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020–21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसकी उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और **उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किन्तु वह तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्वि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्वियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्वियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।**

अतः संबंधित कार्यालयाध्यक्ष इनका वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

(अरिजित बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref No.: 12120350

क्रमांक : एफ 15(6)2024/गोप्र/प्रमुवसं–08745 दिनांक : As Per Sign

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एंव मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक (वनवर्धन), जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
5. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशन किये जाने हेतु।
6. संबंधित लोकसेवक..।
7. रक्षित पत्रावली/कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

Document certified by ARIJIT BANERJEE <ariban@gmail.com>.

Digitally Signed by ARIJIT BANERJEE
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date :02-12-2024 10:25:54